# राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड

गांधी ब्लॉक स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : edlrmsc.123@gmail.com

CIN: U24232RJ2011SGC035067

Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in-

क्रमांकः एफ६.()/आरएमएससी/लॉजिस्टिक/2024-25/498 दिनांक: 31/08/2024

## कार्यालय आदेश

Fixed Dose Combination के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किये राजपत्र दिनांक 12.08.2024 द्वारा 156 प्रकार की औषधियों को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त गैजट नोटिफिकेशन के क्रम संख्या 3385(E) द्वारा सेटीरिज़िन एचसीएल + पेरासिटामोल + फिनाइलफाइन एचसीएल औषधि की नियत खुराक संयोजन मानव उपयोग के लिएं विनिर्माण, विक्रय और वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। औषधि Cetirizine HCl + Paracetamol + Phenylephrine HCl (Fixed Dose Combination) प्रतिबंधित औषधि कं उपयोग हेतु गुणवत्ता नियंत्रक अनुभाग में कार्यरत सहायक औषधि नियंत्रक से राय ली गई। जिसमें उनके द्वारा उक्त औषधि को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित किये जाने की अनुपालना में आवश्यक दवा सूची से विलोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

अतः आवश्यक दवा सूची में शामिल औषधि कोड 498 (Cetirizine HCl 5mg + Paracetamol 325mg + Phenylephrine HCl 10mg) को आवश्यक दवा सूची से विलोपित किया जाता है। संलग्न : गैजट नोटिफिकेशन मय सूची

प्रंबध निदेशक, आरएमएससी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।

निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग।

निदेशक, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर। विशेषाधिकारी / समस्त कार्यकारी निदेशक आरएमएससीएल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक (आई.टी.), आरएमएससी को भेजकर लेख है कि ई-औषधि में आवश्यक संशोधन करवाने का श्रम

नोडल ऑफिसर, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि संबंधित चिकित्सा संस्थानों को सुचित कराया जाना सुनिश्चित करावें।

समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला / मेडिकल कॉलेज औषधि भंडार गृह, आरएमएससी को मेजकर लेख है कि उक्त औषधि की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कराया जाना सुनिश्चित करावे।

आदेश पत्रावली।

प्रंबध निदेशक, आरएमएससी

Signature valid

Digitally signed by Mana Giri Designation Mana G Director Date: 2024.0 34 555:08 IŞT

Reason: Approve

225

ALCAI DAFNA - 404EAZAA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082024-256531 CG-DL-E-21082024-256531

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3125]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 2024/ श्रावण 21, 1946 NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 2024/ SHRAVANA 21, 1946

No. 3125]

#### स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

#### अधिसचना

नई दिल्ली. 2 अगस्त. 2024

का.आ. 3285(अ).— केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि एमाइलेज+ प्रोटीज+ ग्लूकोमाइलेज+ पेक्टिनेज+ अल्फा गैलेक्टोसिडेज+ लैक्टेज+ बीटा- ग्लूकोनेज+ सेल्यूलेज+ लाइपेज + ब्रोमेलैन+ जाइलेनेज+ हेमिकेल्यूलेज+ माल्ट डायस्टेज+ इनवर्टेज+ पपेन औषिध की नियत खुराक संयोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात् एफ़डीसी कहा गया है) के उपयोग से मनुष्यों को जोखिम होने की संभावना है जबिक उक्त औषिध के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई थी और उक्त विशेषज्ञ समिति ने इस एफडीसी को तर्कहीन माना था;

और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने भी उक्त एफडीसी की जांच की थी और सिफारिश की थी कि "इस एफडीसी में अंतर्विष्ट अवयवों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। इस एफडीसी से मनुष्यों को जोखिम हो सकता है। अत: व्यापक जनिहत में, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26क के अधीन इस एफडीसी के विनिर्माण, विक्रय या वितरण को प्रतिषेध करना आवश्यक है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रोगियों में किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमित देने वाले किसी भी प्रकार का विनियमन या निर्बधन न्यायसंगत नहीं है। इसलिए, केवल धारा 26क के अधीन प्रतिषेध करने की सिफारिश की जाती है";

5117 GI/2024 (1)

### अधिसूचना

#### नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

का.आ. 3385(अ).— केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि सेटीरिज़िन एचसीएल + पेरासिटामोल + फिनाइलफ्राइन एचसीएल ओषधि की नियत खुराक संयोजन (जिसे इसमें इसके पश्चात एफ़डीसी कहा गया है) के उपयोग से मनुष्यों को जोखिम होने की संभावना है जबकि उक्त ओषधि के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ समिति द्वारा इस मामले की जांच की गई थी और उक्त विशेषज्ञ समिति ने इस एफडीसी को तर्कहीन माना था;

और, ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने भी उक्त एफडीसी की जांच की थी और सिफारिश की थी कि "इस एफडीसी में अंतर्विष्ट अवयवों का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं है। इस एफडीसी से मनुष्यों को जोखिम हो सकता है। अतः व्यापक जनहित में, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26क के अधीन इस एफडीसी के विनिर्माण, विक्रय या वितरण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रोगियों में किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमित देने वाला किसी भी प्रकार का विनियमन या निर्बंधन न्यायसंगत नहीं है। इसलिए, केवल धारा 26क के अधीन प्रतिषेध की सिफारिश की जाती है";

और उक्त ओषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि देश में उक्त ओषधि के मानव उपयोग के लिए विक्रय के लिए विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिषिद्ध करते हए इसे विनियमित करना जनिहत में आवश्यक और समीचीन है:

अत: अब, केंद्रीय सरकार, ओषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 26क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मानव उपयोग के लिए सेटीरिज़िन एचसीएल + पेरासिटामोल + फिनाइलफ्राइन एचसीएल ओषधि के विक्रय के लिए विनिर्माण, विक्रय और वितरण तुरंत प्रभाव से प्रतिषिद्ध करती है।

[फा. सं. एक्स-11035/53/2014-डीएफ़क्यूसी (भाग-IV)]

राजीव वधावन, सलाहकार (लागत)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2024

**S.O.** 3385(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that the use of the drug Fixed Dose Combination (hereinafter to be referred as FDC) of Cetirizine HCl + Paracetamol + Phenylephrine HCl is likely to involve risk to human beings whereas safer alternatives to the said drug are available;

And whereas, the matter was examined by an Expert Committee appointed by the Central Government and the said Expert Committee considered this FDC as irrational;

And whereas, the Drugs Technical Advisory Board also examined the said FDC and recommended that "there is no therapeutic justification for the ingredients contained in this FDC. The FDC may involve risk to human beings. Hence in the larger public interest, it is necessary to prohibit the manufacture, sale or distribution of this FDC under section 26 A of Drugs and Cosmetics Act 1940. In view of above, any kind of regulation or restriction to allow for any use in patients is not justifiable. Therefore, only prohibition under section 26A is recommended";

And whereas on the basis of the recommendations of the said Drugs Technical Advisory Board, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in public interest to prohibit the manufacture for sale, sale and distribution for human use of the said drug in the country;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture for sale, sale and distribution for human use of drug FDC of **Cetirizine HCl + Paracetamol + Phenylephrine HCl** with immediate effect.

[F. No. X-11035/53/2014-DFQC (Part-IV)] RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 2nd August, 2024

**S.O.** 3440(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that the use of the drug Fixed Dose Combination (hereinafter to be referred as FDC) of **Tramadol HCl +Paracetamol +Caffeine +Taurine** is likely to involve risk to human beings whereas safer alternatives to the said drug are available;

And whereas, the matter was examined by an Expert Committee appointed by the Central Government and the said Expert Committee considered this FDC as irrational;

And whereas, the Drugs Technical Advisory Board also examined the said FDC and recommended that "there is no therapeutic justification for the ingredients contained in this FDC. The FDC may involve risk to human beings. Hence in the larger public interest, it is necessary to prohibit the manufacture, sale or distribution of this FDC under section 26 A of Drugs and Cosmetics Act 1940. In view of above, any kind of regulation or restriction to allow for any use in patients is not justifiable. Therefore, only prohibition under section 26A is recommended";

And whereas on the basis of the recommendations of the said Drugs Technical Advisory Board, the Central Government is satisfied that it is necessary and expedient in public interest to prohibit the manufacture for sale, sale and distribution for human use of the said drug in the country;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 26A of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), the Central Government hereby prohibits the manufacture for sale, sale and distribution for human use of drug FDC of **Tramadol HCl +Paracetamol +Caffeine +Taurine** with immediate effect.

[F. No. X-11035/53/2014-DFQC (Part-IV)] RAJIV WADHAWAN, Advisor (Cost)